।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 1784 / 12-1, दिनांक, गोपेश्वर, 08/11/2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषयः— **जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गदेरा से डांगतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.919 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु को हस्तान्तरण के सम्बन्ध मे।**

संदर्भः— **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 60 / 2015 / एफ0सी0 / 985 दिनांक 14.08.2015**

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के तहत सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग का पत्रांक 242 / चार–प्रावि0 / वनभूमि / 2017–18 दिनांक 21.06.2017 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। जिसे निम्न प्रकार तीन प्रतियों संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

1– **शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.838 है0 ग्राम सनेड़ व ज्यूड़ा सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 16,41010.00 (रू0 सोलह लाख इक्कतालीस हजार दस) मात्र NEFT/RTGS (Challan) For AD-HoC CAMPA में जमा की जा चुकी है।

2– सैद्वान्तिक स्वीकृति की **शर्त सं0 01** के अनुपालन में जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 853 / छब्बीस–02 (2015–16) गोपेश्वर दिनांक 19.11.2015 के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 7.838 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण किया गया है, की प्रति संलग्न। **(संलग्नक–1)**

3– **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 33,11,555.00 (रू0 तेंतीस लाख ग्यारह हजार पांच सौ पचपन) मात्र NEFT/RTGS (Challan) For AD-HoC CAMPA में जमा की जा चुकी है।

4– **शर्त संख्या–3** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी00वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी की बचनवद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**

5– **शर्त संख्या–4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा डिमाण्ड नोट को ऑनलाईन सत्यापन कर शर्त सं0 01, शर्त सं0 02 व शर्त सं0 05 की धनराशि को NEFT/RTGS (Challan) के माध्यम से AD-HoC CAMPA में जमा की जा चुकी है, चालान की प्रति संलग्न। **(संलग्नक–3)**

6– **शर्त संख्या–5** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि रू0 20,60,000.00(रू0 बीस लाख साठ हजार) मात्र NEFT/RTGS (Challan) के माध्यम से AD-HoC CAMPA में जमा की जा चुकी है,

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– / **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0,खण्ड कर्णप्रयाग, को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि म्युटेशन एवं अनुपालन आख्या को ऑनलाईन अपलोड करने का कष्ट करें। ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

(एन0एन0पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned by CamScanner